न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या —1003 / 2024

अनवान : —

1. श्योलाल पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्ण लाल पुत्र मालाराम जाति नेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

— वादीगण

बनाम्

1. प्रताप पुत्र स्व. लादुराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. मामराज पुत्र स्व.लादुराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. शंकरलाल पुत्र स्व.लादुराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. बिमला पत्नी रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. विक्रम राम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. कानाराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. रीतु पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. कलावती पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
9. धापी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. सुमित्रा पत्नी जीता राम जाति मेघवाला निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
11. पवन कुमार पुत्र जीता राम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
12. सोन पुत्र जीता राम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
13. ममता पुत्री जीताराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
14. चुनी पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
15. धापी देवी पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
16. हिरा पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
17. कानी पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
18. इन्द्रा पुत्री लादुराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
19. मीरा पुत्री लादुराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
20. भालाराम पुत्र सावित्री पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
21. बाला पुत्री सावित्री पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
22. माया पुत्री सावित्री पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
23. विमला पुत्री सावित्री पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
24. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

दिनांक: 14/07/2025

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 195[illegible]त इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या [illegible]/103 की कुल तादादी 10.1200 हे० भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्थित है जिसके संयुक्त तौर से मालाराम पुत्र रामरिख जाति मेघवाल निवासी रनतपुरा तहसील नोहर 5818/10119 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मालाराम पुत्र रामरिख के नाम दर्ज है जो की वादीगण का पिता है। वादी के पिता मालाराम पुत्र रामरिख का स्वर्गवास हो चुका है। मालाराम पुत्र रामरिख के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 23 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 18 जो की वादीगण की बहिने है तथा प्रतिवादी स0 6 ता 10 ने अपना हक हिस्सा अपनी माता विमला यानि की प्रतिवादी स0 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है एवं प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 ने अपना हक हिस्सा वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी स0 1 ता 4, 5 , 11 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 103/103 की कुल 10.1200 हैक्ट भूमि में मालाराम के नाम दर्ज भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा प्रतिवादी स0 11 अकेला 1/15 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 23 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 23 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 24 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण मालाराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। वादीगण ने प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी का पेश किया की रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 103/103 की कुल तादादी 10.1200 है० भूमि में संयुक्त तौर से मालाराम पुत्र रामरिख के नाम दर्ज 5818/10119 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 अकेला प्रतिवादीगण सं. 14 व 17 ने अपना हक व हिस्सा [illegible] प्रतिवादीगण सं. 14 ता 17 को अपना 1/8, 1/8 हिस्सा दिया जाकर वाद भूमि डिक्री [illegible] है तो वादीगण को कोई ऐतराज नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

होगा एवं प्रतिवादी सं. 14 ता 17 को 1/8, 1/8 हिस्सा, देने पर पर्चा डिक्री निम्न प्रकार से सशोधित किया जावें एवं रोही मौजा चक 13 के एन. तहसील नोहर के खाता सं. 103/103 की कुल तादादी 10.1200 हैक्टर भूमि में सयुक्त तौर से मालाराम पुत्र रामरिख के नाम दर्ज 5818/10119 हिस्सा में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3,4, 10 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 14 अकेली 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 अकेली 1/8 हिस्साा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषणा करवापाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 व 18 ता 23 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है प्रतिवादी संख्या 14 व 17 ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम इस आशय का पेश किया की प्रतिवादी सं. 15 ता 18 का हिस्सा त्याग करने का तथ्य झूठा व मनगढंत दर्ज किया है उतरदाता ने कभी भी कोई हक का त्याग नहीं किया इसलिये रोही मौजा 13 के.एन.एन की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं. 103 की कुल 10.1200 हैक्टर भूमि में दर्ज मालाराम का 5818/10119 हिस्सा में उतरदाता प्रतिवादीया सं. 14 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीया सं. 17 का 1/8 हिस्सा जन्म सें ही हक व हिस्सा है इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने के अधिकारी है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि घोषणा की जावे कि रोही मौजा चक 13 के.एन.एन. की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं. 103/103 की कुल तादादी 10.1200 हैक्टर भूमि उतरदातागण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें उतरदाता सं. 14 का 1/8 हिस्सा व उतरदाता सं. 17 का 1/8 हिस्सा जन्म से ही हक व हिस्सा है इसलिये मालाराम मृतक का नाम कलमजन कर मालाराम के नाम दर्ज 5818/10119 हिस्सा में उतरदाता सं. 14 का 1/8 हिस्सा व उतरदाता सं. 17 का 1/8 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकासान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मालाराम के नाम दर्ज है जो की वादीगण का पिता है। वादी के पिता मालाराम का स्वर्गवास हो चुका है। मालाराम के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 23 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 103/103 की कुल तादादी 10.1200 है० भूमि में संयुक्त तौर से मालाराम पुत्र रामरिख के नाम दर्ज 5818/10119 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 अकेला प्रतिवादीगण सं. 14 व 17 ने अपना हक व हिस्सा लेना चाहती है। एवं प्रतिवादीगण सं. 14 ता 17 को अपना 1/8, 1/8 हिस्सा [illegible] भूमि डिक्री किया जाता है तो वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:32 IST
Reason: SelfAttested

कोई ऐतराज नही होगा एवं प्रतिवादी सं. 14 ता 17 को 1/8, 1/8 हिस्सा, देने पर पर्चा डिक्री निम्न प्रकार से सशोधित किया जावें एवं रोही मौजा चक 13 के एन. तहसील नोहर के खाता सं. 103/103 की कुल तादादी 10.1200 हैक्टर भूमि में सयुक्त तौर से मालाराम पुत्र रामरिख के नाम दर्ज 5818/10119 हिस्सा में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3,4, 10 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 14 अकेली 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 अकेली 1/8 हिस्साा भूमि का खातेदार काश्तकार घौषणा करवापाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 व 18 ता 23 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है प्रतिवादी संख्या 14 व 17 ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम इस आशय का पेश किया की प्रतिवादी सं. 15 ता 18 का हिस्सा त्याग करने का तथ्य झूठा व मनगढंत दर्ज किया है उतरदाता ने कभी भी कोई हक का त्याग नहीं किया इसलिये रोही मौजा 13 के.एन.एन की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं. 103 की कुल 10.1200 हैक्टर भूमि में दर्ज मालाराम का 5818/10119 हिस्सा में उतरदाता प्रतिवादीया सं. 14 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीया सं. 17 का 1/8 हिस्सा जन्म से ही हक व हिस्सा है इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने के अधिकारी है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि घोषणा की जावे कि रोही मौजा चक 13 के.एन.एन. की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं. 103/103 की कुल तादादी 10.1200 हैक्टर भूमि उतरदातागण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें उतरदाता सं. 14 का 1/8 हिस्सा व उतरदाता सं. 17 का 1/8 हिस्सा जन्म से ही हक व हिस्सा है इसलिये मालाराम मृतक का नाम कलमजन कर मालाराम के नाम दर्ज 5818/10119 हिस्सा में उतरदाता सं. 14 का 1/8 हिस्सा व उतरदाता सं. 17 का 1/8 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे । प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्त प्रतिवादीगण ने बहस में नवेदन किया की प्रतिवादी सं. 15 ता 18 का हिस्सा त्याग करने का तथ्य झूठा व मनगढंत दर्ज किया है उतरदाता ने कभी भी कोई हक का त्याग नहीं किया इसलिये रोही मौजा 13 के.एन.एन की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं. 103 की कुल 10.1200 हैक्टर भूमि में दर्ज मालाराम का 5818/10119 हिस्सा में उतरदाता प्रतिवादीया सं. 14 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीया सं. 17 का 1/8 हिस्सा जन्म से ही हक व हिस्सा है इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:32 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 103/103 की कुल तादादी 10.1200 है० भूमि स्थित है जिसके संयुक्त तौर से मालाराम पुत्र रामरिख जाति मेघवाल निवासी रनतपुरा तहसील नोहर 5818/10119 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मालाराम के नाम दर्ज है जो की वादीगण का पिता है। वादीगण के पिता मालाराम का स्वर्गवास हो चुका है। मालाराम के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 23 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 103/103 की कुल तादादी 10.1200 है० भूमि में संयुक्त तौर से मालाराम पुत्र रामरिख के नाम दर्ज 5818/10119 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 अकेला प्रतिवादीगण सं. 14 व 17 ने अपना हक व हिस्सा लेना चाहती है। एवं प्रतिवादीगण सं. 14 ता 17 को अपना 1/8, 1/8 हिस्सा दिया जाकर वाद भूमि डिक्री किया जाता है तो वादीगण को कोई ऐतराज नही होगा एवं प्रतिवादी सं. 14 ता 17 को 1/8, 1/8 हिस्सा, देने पर पर्चा डिक्री निम्न प्रकार से सशोधित किया जावें एवं रोही मौजा चक 13 के एन. तहसील नोहर के खाता सं. 103/103 की कुल तादादी 10.1200 हैक्टर भूमि में सयुक्त तौर से मालाराम पुत्र रामरिख के नाम दर्ज 5818/10119 हिस्सा में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3,4, 10 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 14 अकेली 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 अकेली 1/8 हिस्साा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषणा करवापाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण का कथन है कि रोही मौजा 13 के.एन.एन की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं. 103 की कुल 10.1200 हैक्टर भूमि में दर्ज मालाराम का 5818/10119 हिस्सा में उतरदाता प्रतिवादीया सं. 14 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीया सं. 17 का 1/8 हिस्सा जन्म से ही हक व हिस्सा है इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 व 15 ता 16 व 18 ता 23 द्वारा वादी के वाद के उक्त कथनो को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया है एवं प्रतिवादी स0 14 व 17 के कथनों को वादी द्वारा स्वीकार किया गया है। वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 के. एन. तहसील नोहर के खाता सं. 103/103 की कुल तादादी 10.1200 हैक्टर भूमि में सयुक्त तौर से मालाराम पुत्र रामरिख के नाम दर्ज 5818/10119 हिस्सा में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3, 4, 10 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा, प्रतिवदी सं. 14 अकेली 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 अकेली 1/8 हिस्साा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:32 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मालाराम पुत्र रामरिख का नाम कलजन किया जाता है।। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:32 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या —1003/2024

अनवान : —.

1. श्योलाल पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवारी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्ण लाल पुत्र मालाराम जाति नेघवाल निवारी रतनपुरा तहसील नोहर।

— **वादीगण**

बनाम्

1. प्रताप पुत्र स्व. लादुराम जाति मेघवाल निवारी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. मामराज पुत्र स्व.लादुराम जाति मेघवाल निवारी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. शंकरलाल पुत्र स्व.लादुराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. बिमला पत्नी रामचन्द्र जाति मेघवाल निवारी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. विक्रम राम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. कानाराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. रीतु पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. कलावती पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
9. धापी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. सुमित्रा पत्नी जीता राम जाति मेघवाला निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
11. पवन कुमार पुत्र जीता राम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
12. सोन पुत्र जीता राम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
13. ममता पुत्री जीताराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
14. चुनी पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
15. धापी देवी पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
16. हिरा पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
17. कानी पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
18. इन्द्रा पुत्री लादुराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
19. मीरा पुत्री लादुराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
20. भालाराम पुत्र सावित्री पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
21. बाला पुत्री सावित्री पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
22. माया पुत्री सावित्री पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
23. विमला पुत्री सावित्री पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
24. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

— **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1003 सन 2024 निर्णय दिनांक 14/07/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील
वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की
उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा
प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री
किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 के. एन. तहसील नोहर के खाता सं.
103/103 की कुल तादादी 10.1200 हैक्टर भूमि में सयुक्त तौर से मालाराम पुत्र रामरिख के नाम दर्ज
5818/10119 हिस्सा में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3, 4, 10
प्रत्येक का 1/20 हिस्सा, प्रतिवदी सं. 14 अकेली 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 अकेली 1/8 हिस्साा
भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मालाराम पुत्र रामरिख का नाम कलजन किया जाता
है।। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का
स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा
किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/07/… को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:32 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर